

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1295

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में खराब लोक स्वास्थ्य अवसंरचना

†1295. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कासरगोड जिले में लोक स्वास्थ्य अवसंरचना में भारी कमियां बनी हुई हैं, जिसके कारण मरीजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या पड़ोसी राज्यों के निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एंडोसल्फान से प्रभावित व्यक्तियों सहित गंभीर मरीजों को जिले में विशिष्ट और सुपर स्पेशियलिटी देखभाल सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उत्तरी केरल में उन्नत स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कासरगोड में केंद्रीय स्तर की चिकित्सा संस्था स्थापित करने या मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करने के किसी प्रस्ताव की जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश के भौगोलिक रूप से अलग-थलग जिलों में अन्य क्षेत्रों के समान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने हेतु दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

<https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744>

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के सभी कार्यशील एएएम में टेलीकंसल्टेशन सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को अपने घरों के करीब विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे भौतिक पहुंच संबंधी चिंताओं, सेवा प्रदाताओं की कमी और परिचर्या की निरंतरता को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलती है।

इसके अलावा, कठिन और दुर्गम इलाकों वाले दूरदराज के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएचएम के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 30.06.2025 तक देश भर में कुल 1477 एमएमयू तैनात किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। केरल राज्य को पांच वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-2026) के लिए 404.63 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उपयोग जिला स्तर पर 14 आईपीएचएल और जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज स्तर पर 14 सीसीबी के निर्माण/सुदृढीकरण के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में कासरगोड जिले को एक (01) एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) और एक (01) क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) आवंटित किए गए हैं।

केरल राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए 2958.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 1205 भवन रहित एसएचसी, 116 भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), 41 भवन रहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), 152 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों और 380 शहरी एएएम की स्थापना और सुदृढीकरण के लिए अब तक 2310.96 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत केरल राज्य के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। विवरण इस प्रकार है:

राज्य	सं.	जीएमसी/संस्थान का नाम	अनुमोदित बुनियादी ढांचा
केरल	1.	मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक
	2.	कोझिकोड मेडिकल कॉलेज	ट्रॉमा केयर सेंटर से युक्त सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक
	3.	टी.डी. मेडिकल कॉलेज, अलाप्पुझा	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक
	4.	एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेंद्रम	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक
